



## राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय द्वारा **राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले (National Apprenticeship Mela)** का आयोजन किया गया।

- **कौशल विकास और उद्यमता की राष्ट्रीय नीति, 2015** प्रशिक्षुता उचित मानदेय के साथ एक कुशल कार्यबल को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के साधन के रूप में मान्यता देती है।
- प्रशिक्षुता एक **कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम** है जिसमें एक व्यक्ति एक कंपनी द्वारा प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होता है तथा अल्पावधि का प्रशिक्षण प्राप्त करता है।

## राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला :

- इसका उद्देश्य एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को उचित प्रतभा का दोहन करने व बेहतर प्रशिक्षण के साथ अलग-अलग प्रकार के व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता करना है।
- आवेदकों को नए कौशल वकिसति करने के लिये सरकारी मानकों के अनुसार मासिक वजीफा मल्लिगा, अर्थात् आवेदकों को सीखने के साथ कमाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- पीएम अपरेंटिसशिप मेले (PM Apprenticeship Mela) में भाग लेने हेतु 5वीं - 12वीं कक्षा पास प्रमाणपत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आईटीआई डिप्लोमा या स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्ति पात्र हैं।
- आवेदकों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मल्लिगा, जिससे प्रशिक्षण के बाद उनके रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी।
  - NCVET को MSDE द्वारा 5 दसिंबर, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

## प्रशिक्षुता से संबंधित सरकारी नीतियाँ:

- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नौकरी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके वनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमि कया गया था।
  - कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये जम्मेदार प्रशासनिक मंत्रालय है।
- सरकार ने उद्योग और युवाओं दोनों के लिये तथा इसे अधिक आकर्षक बनाने हेतु **दसिंबर 2014 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन कये हैं।**
  - **संशोधन में शामिल प्रमुख परिवर्तन हैं:**
    - कुल कार्यबल (संविदा कर्मचारियों सहित) के 2.5% से 10% के बैंड के साथ अपरेंटिसि के व्यापार-वार और इकाई-वार वनियमन की पुरानी प्रणाली को बदलना, वैकल्पिक ट्रेडों की शुरुआत, कारावास जैसे कड़े प्रावधानों को हटाना व उद्योगों को बुनयािदी प्रशिक्षण को आउट-सोर्स करने की अनुमति देना।

## राष्ट्रीय शक्षिषुता प्रोत्साहन योजना:

- सरकार ने प्रशक्षिषुओं के प्रशक्षिषण को प्रोत्साहति करने और नयिोक्ताओं को प्रशक्षिषुओं को नयिुकुत करने की प्रेरणा देने के लयि 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशक्षिषु संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Enhancement Plan-NAPS) की शुरुआत की थी।
  - NAPS ने अपरेंटिसि प्रोत्साहन योजना (APY) का स्थान ले लया है।
  - योजना में नमिनलखिति दो घटक हैं:
    - नरिधारति वजीफे के 25% की प्रतपूरति अधिकतम 1500 रुपए प्रतमाह प्रतप्रशक्षिषु को भारत सरकार द्वारा उन सभी नयिोक्ताओं के लयि जो प्रशक्षिषुओं को नयिुकुत करते हैं, प्रदान की जाती है।
    - बनिा कसिी शक्षिषुता प्रशक्षिषण के सीधे आने वाले प्रशक्षिषुओं के संबध में बुनयािदी प्रशक्षिषण प्रदाताओं (BTPs) को भारत सरकार द्वारा बुनयािदी प्रशक्षिषण की लागत की प्रतपूरति (अधिकतम 500 घंटे/3 महीने के लयि 7500/- रुपए की सीमा तक) औपचारिक प्रशक्षिषण के दौरान प्रदान की जाती है।

## शक्षिषुता को बढ़ावा देने से संबधति पहलें:

- शक्षिषुता और कौशल में उच्च शक्षिषति युवाओं के लयि योजना (श्रेयस)

- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिये कौशल सुदृढीकरण परियोजना (स्ट्राइव)
- युवाह यूथ स्कलिंग इनशिएटिवि
- [प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना](#)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-apprenticeship-mela>

